राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांक–प. 26( )( )आईईसी/आईसीडीएस/2016/100950-101286 जयपुर, दिनांक 29.7.2016

1. उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

2. बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाऐं,
समस्त।

विषय– 'आंगनबाड़ी चलो अभियान' के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने पर जिला, उपखण्ड/ ब्लॉक स्तर पर स्वाधीनता दिवस समारोह में सम्मानित करने के सम्बन्ध में निर्देश।

"ऑगनबाडी चलो अभियान" के अन्तर्गत "प्रवेशोत्सव", "खिलौना बैंक" व "शिक्षण सामग्री बैंक" की स्थापना व "वृक्षारोपण" कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अभियान में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के तहत जहां एक ओर 3–6 वर्ष आयु वर्ग के शाला पूर्व शिक्षा लाभार्थियों के नवीन पंजीयन में वृद्धि हुई है वहीं दूसरी ओर खिलौना बैंक एवं शिक्षण सामग्री बैंक की स्थापना के फलस्वरूप केन्द्र लाभार्थियों के लिए खिलौने तथा शिक्षण सामग्री के रूप में यूनिफार्म, स्कूल बैग, कॉपी, पैन, All in one बुक व अन्य सामग्री प्राप्त हुई है, जो कि सराहनीय है। अभी भी कुछ स्थानों पर यूनिफॉर्म आदि प्राप्त हो रही है, इसलिए सूचना भेजने की दिनांक को 5 अगस्त से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया गया है।

यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि विभागीय अधिकारी/ कर्मचारियों, मानदेयकर्मियों, जिला प्रशासन, भामाशाह व स्वयं सेवी संगठनों आदि के सहयोग से ही उक्त अभियान के आशातीत एवं सार्थक परिणाम सामने आये हैं। अतः अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, मानदेयकर्मियों के साथ–साथ भामाशाह, समाजसेवी व अन्य सहयोगकर्ताओं को राज्य जिला स्तर, उपखण्ड/ब्लॉक पर सम्मानित किया जाना अपेक्षित है ताकि उनमें उत्कृष्ट कार्य करने की भावना विकसित हो।

इसके लिए तत्काल पात्र व्यक्तियों के नाम व किए गए उत्कृष्ट कार्य/ सहयोग के विवरण सहित जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी को अपनी अनुशंषा भिजवाऐं तथा जिला व उपखण्ड स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कराते हुए पात्र व्यक्तियों को जिला एवं उपखण्ड स्तरीय समारोह में सम्मानित कराऐं। चूंकि चयन समिति में विभिन्न विभागों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और वे सीमित व्यक्ति/ संस्थाओं का ही चयन कर पाते हैं, अतः शेष को विभाग के जिला व परियोजना स्तरीय कार्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाए। साथ ही निदेशालय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले समारोह में सम्मानित किए जाने के लिए प्रत्येक जिले से 01 बाल विकास परियोजना अधिकारी/ सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा 01 पर्यवेक्षक का नाम भी स्पष्ट अभिशंषा सहित प्रेषित करें।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में अभियान के तहत हुई प्रगति की सूचना (प्रवेशोत्सव, खिलौनों, शिक्षण सामग्री आदि) पूर्वानुसार सरलीकृत प्रपत्र में दिनांक 10 अगस्त, 2016 तक प्रेषित करें ताकि निदेशालय स्तर पर संकलित डाटाबेस तैयार हो सकें।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक

क्रमांक–प. 26( )( )आईईसी/आईसीडीएस/2016/101287-101799 जयपुर, दिनांक 29.7.16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदया, म.बा.वि., जयपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज., जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर।
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
5. समस्त उपखण्ड अधिकारी।
6. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।

सहायक निदेशक (IEC)
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राज., जयपुर